<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–126/2023</u>

शम्भू राम एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

जोखन राम एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
03.04.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादीगण की तरफ से एक आवेदन दिनांक 23.01.2025 को दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 03.04.2025 को सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। उभयपक्षों को प्रतिवादीगण के आवेदन दिनांक 23.01.2025 पर सुना। कार्यालय अभिलेख द्वितीय पाली में आदेश हेतु प्रस्तुत करें। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज **<u>आदेश (ORDER)</u>** अभिलेख कार्यालय से आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।	
पश्चात् **03.04.2025**	प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रतिवादीगण अनुसूचित जाति के अशिक्षित मजदूर व्यक्ति है जो मजदूरी वास्ते अन्य राज्यों में जाते रहते है। उन्हें इस मुकदमें की जानकारी समय पर नहीं हो सका था तथा उनके विरूद्ध इस वाद को एकतरफा निर्धारित किया गया है। प्रतिवादीगण इस वाद में उपस्थित होकर तथा अपना ब्यान तहरीरी दाखिल कर संघर्ष करना चाहते है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि न्यायहित में प्रतिवादीगण के आवेदन को स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 20.08.2024 को पारित एक तरफा निर्धारण के आदेश को वापस लेते हुए प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल ब्यान तहरीरी को स्वीकार करने की कृपा करें।	

<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–126/2023</u>

शम्भू राम एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

जोखन राम एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 03.04.2025	इसके लिए प्रतिवादीगण श्रीमान् का सदैव आभारी रहेंगें। वादीगण की ओर से कोई जबाब दाखिल नहीं दिया गया, लेकिन वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख सुनवाई हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी पक्षों को सुना जाना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल बयान तहरीरी को स्वीकार करते हुए संघर्ष करने का निवेदन किया गया है। अतः न्यायहित में प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 23.01.2025 को मो0–1000/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है, दिनांक 20.08.2024 को पारित एकतरफा निर्धारण के आदेश को वापस लिया जाता है एवं प्रतिवादीगण के द्वारा दाखिल बयान तहरीरी दिनांक 23.01.2025 को स्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक 08.05.2025 को 89 सी.पी.सी पर सुनवाई वास्ते नियत किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	